

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर देसूरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :- पर्वत सिंह चूण्डावत उपखण्ड अधिकारी देसूरी
उनवान

फुआराम पुत्र भलाराम कौम देवासी निवासी केसूली
बनाम

नन्दाराम पुत्र भलाराम कौम देवासी निवासी केसूली

दावा बाबत — बंटवारा राज0काश्त0 अधि0 1955 धारा 53

मुकदमा नम्बर :- 46 / 16

निर्णय

दिनांक :- 19 / 05 / 2016

वादी फुआराम पुत्र भलाराम कौम देवासी निवासी केसूली व प्रतिवादी नन्दाराम पुत्र भलाराम कौम देवासी निवासी केसूली की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 19 / 05 / 16 को पर्वत सिंह चूण्डावत (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है कि

फुआराम पुत्र भलाराम कौम राईका सा.देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक फालना के नाम ग्राम केसूली पटवार वृत्त केसूली तहसील देसूरी के ख.न 461/2 रकबा 1.24 है. किस्म बा.दो. लगान 6.20 एवं नन्दाराम पुत्र भलाराम कौम राईका सा.देह खातेदार रहन भूमि विकास बैंक फालना के नाम ग्राम केसूली पटवार वृत्त केसूली तहसील देसूरी के ख.न 461 रकबा 1.24 है. किस्म बा.दो. लगान 6.20 एवं फुआराम, नन्दाराम पुत्र भलाराम कौम राईका सा.देह खातेदार के नाम ग्राम केसूली पटवार वृत्त केसूली तहसील देसूरी के ख.न 461/1 रकबा 0.04 है. किस्म बा.दो. लगान 0.20 दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते हैं एवं नक्शा तैयार किया गया जो संलग्न है उस अनुसार नक्शे में तरमीम हो तदनुसार डिक्री जारी की जाती है। रहन का इन्द्राज पृथक अपने-अपने हिस्सानुसार रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 19 / 05 / 2016 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की जाती है।

(पर्वत सिंह चूण्डावत)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

क्रमांक / शिविर / 2016 /
प्रतिलिपि :-

दिनांक-19 / 05 / 2016

1. तहसीलदार देसूरी को भेजकर लेख है कि माफिक डिक्री एवं नक्सानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहा. कलक्टर